





# जिले के 4 जनपदों पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए भाजपा का कब्जा

- संवाददाता -  
अंबिकापुर, 05 मार्च 2025  
(घटनी-घटना)।

सरगुजा जिले में पहले चरण में चार जनपदों में बुधवार को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निवारण की प्रक्रिया पूरी हो गयी। जनपद कार्यालय लखनपुर-लुण्डा, बतौली व सीतापुर में पूरे दिन गहमाहमी की स्थिति रही। इन चारों जनपदों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा रहा। लखनपुर से शशिकला, लुण्डा से कुण्डा पाटल, बतौली से अनीता तिकी व सीतापुर से स्नेहलता दोपो अध्यक्ष चुने गए हैं।

सरगुजा जिले के लखनपुर जनपद पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में बुधवार

को भाजपा से पर्वतेश्वक ललन प्रताप सिंह के उपरिथित में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। अंबिकापुर विधायक राजसभा अग्रवाल लुण्डा पंचायकरी की मसास अनुरूप क्षेत्र के 18 जनपद सदस्यों के सर्व सम्मिति में जनपद अध्यक्ष शशि कला सिंह और जनपद उपाध्यक्ष कामेश्वर राजवाडे चुने गए हैं। वहीं जनपद पंचायत बतौली से अध्यक्ष पद के लिए दो अध्यक्षों ने दो वेदवारी पेश की जिसमें लीलावती सिंह को 4 मत एवं अनीता तिकी को 11 मत पाकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई। वहीं उपाध्यक्ष पद पर मंजूर गुप्ता परिवर्ती एवं सह पीड़ियोंनां अधिकारी ने निवारण में लीलावती सिंह को 4 मत एवं अनीता तिकी को 11 मत पाकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई। वहीं उपाध्यक्ष पद पर मंजूर गुप्ता निर्वाचित चुनी गई।

जिसमें कुमुम के पक्ष में 6 मत, अग्रवाल निवारण चुने गए।

जिसमें कुमुम के पक्ष में 6 मत, पेश की। जिसमें कुमुम के पक्ष में 6 मत, पेश की। जिसमें कुमुम के पक्ष में 6 मत, पेश की।

तो वहीं कृष्णा पाटले के पक्ष में 11 मत प्राप्त कर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। वहीं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के लिए कंचन जायसवाल निर्वाचित चुनी गई। वहीं जनपद पंचायत बतौली से अध्यक्ष पद के लिए दो अध्यक्षों ने दो वेदवारी पेश की जिसमें लीलावती सिंह को 4 मत एवं अनीता तिकी को 11 मत पाकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई। वहीं उपाध्यक्ष पद पर मंजूर गुप्ता निर्वाचित चुनी गई।

इसी विवाद पर स्नेहलता दोपो एवं स्नेहलता दोपो अध्यक्ष चुने गए।

जिसमें कुमुम के पक्ष में 6 मत, पेश की। जिसमें कुमुम के पक्ष में 6 मत, पेश की। जिसमें कुमुम के पक्ष में 6 मत, पेश की।



## आपसी विवाद में बड़े भाई ने रॉड से हमला कर छोटे भाई को उतारा मौत के घाट



- संवाददाता -  
अंबिकापुर, 05 मार्च 2025  
(घटनी-घटना)।

आपसी विवाद पर बड़े भाई ने छोटे भाई के लॉपर रॉड से जालनवा हमला कर दिया। मामला गांधीनगर पुलिस ने आपसी बड़े भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आपसी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

जानकारी के अनुसार रामजी दुबे

का रहने वाला है। इसके तीन बेटे हैं। मंगलवार की शाम कीरी 6 बजे रामजी दुबे का बड़ा बेटा कुश दुबे उक्त छोटे उम्र गोतम दुबे उम्र 28 वर्ष के महिले बेटा शुभम दुबे उम्र 25 वर्ष की बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। इस दौरान घर में इन दोनों भाइयों के अलावा उनकी दादी थी। दोनों भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर बड़े भाई ने गोधानरथ थाना के मुक्तपाता

अपने मझले भाई पर रॉड से हमला

कर दिया। इससे बड़े भाई रूप से जखमी हो गया और घर में ही बेशेष हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पिता व छोटा भाई लव दुबे घर पहुंचा और गोधानरथ रूप से जख्मी शुभम को इलाज के लिए मिशन अस्पताल ले गए। यहाँ लगभग 20 मिनट तक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का छोटा भाई लव दुबे ने बताया कि आपसी शराब के नशे में था। घटना की दोनों बीच बचाव करने की कोशिश की दादी के साथ भी मारपीट किया है। सुन्दरन पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और मृतक के छोटे भाई लव दुबे की रिपोर्ट पर पुलिस ने आपसी पहुंचकर मामले में जांच के बाद थाना गांधीनगर पुलिस ने आपसी पति के विवाहित द्वारा किया है। पुलिस ने आपसी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

जानकारी के अनुसार रामजी दुबे

का रहने वाला है। इसके तीन बेटे हैं।

मंगलवार की शाम कीरी 6 बजे रामजी दुबे का बड़ा बेटा कुश दुबे उक्त छोटे उम्र गोतम दुबे उम्र 28 वर्ष के महिले बेटा शुभम दुबे उम्र 25 वर्ष की बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। इस दौरान घर में इन दोनों भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर बड़े भाई ने गोधानरथ थाना के मुक्तपाता

अपने मझले भाई पर रॉड से हमला

कर दिया।

कर दिया। इससे बड़े भाई रूप से जखमी हो गया और घर में ही बेशेष हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पिता व छोटा भाई लव दुबे घर पहुंचा और गोधानरथ रूप से जख्मी शुभम को इलाज के लिए मिशन अस्पताल ले गए। यहाँ लगभग 20 मिनट तक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का छोटा भाई लव दुबे ने बताया कि आपसी शराब के नशे में था। घटना की दोनों बीच बचाव करने की कोशिश की दादी के साथ भी मारपीट किया है। सुन्दरन पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और मृतक के प्रतिवर्षण के लिए निरीक्षण किया है। जांच द्वारा खुदकुरी के बाद थाना गांधीनगर पुलिस ने आपसी पति के विवाहित द्वारा किया है। पुलिस ने आपसी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

जानकारी के अनुसार रामजी दुबे

का रहने वाला है। इसके तीन बेटे हैं।

मंगलवार की शाम कीरी 6 बजे रामजी दुबे का बड़ा बेटा कुश दुबे उक्त छोटे उम्र गोतम दुबे उम्र 28 वर्ष के महिले बेटा शुभम दुबे उम्र 25 वर्ष की बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। इस दौरान घर में इन दोनों भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर बड़े भाई ने गोधानरथ थाना के मुक्तपाता

अपने मझले भाई पर रॉड से हमला

कर दिया।

कर दिया। इससे बड़े भाई रूप से जखमी हो गया और घर में ही बेशेष हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पिता व छोटा भाई लव दुबे घर पहुंचा और गोधानरथ रूप से जख्मी शुभम को इलाज के लिए मिशन अस्पताल ले गए। यहाँ लगभग 20 मिनट तक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का छोटा भाई लव दुबे ने बताया कि आपसी शराब के नशे में था। घटना की दोनों बीच बचाव करने की कोशिश की दादी के साथ भी मारपीट किया है। सुन्दरन पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और मृतक के प्रतिवर्षण के लिए निरीक्षण किया है। जांच द्वारा खुदकुरी के बाद थाना गांधीनगर पुलिस ने आपसी पति के विवाहित द्वारा किया है। पुलिस ने आपसी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

जानकारी के अनुसार रामजी दुबे

का रहने वाला है। इसके तीन बेटे हैं।

मंगलवार की शाम कीरी 6 बजे रामजी दुबे का बड़ा बेटा कुश दुबे उक्त छोटे उम्र गोतम दुबे उम्र 28 वर्ष के महिले बेटा शुभम दुबे उम्र 25 वर्ष की बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। इस दौरान घर में इन दोनों भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर बड़े भाई ने गोधानरथ थाना के मुक्तपाता

अपने मझले भाई पर रॉड से हमला

कर दिया।

कर दिया। इससे बड़े भाई रूप से जखमी हो गया और घर में ही बेशेष हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पिता व छोटा भाई लव दुबे घर पहुंचा और गोधानरथ रूप से जখ्मी शुभम को इलाज के लिए मिशन अस्पताल ले गए। यहाँ लगभग 20 मिनट तक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का छोटा भाई लव दुबे ने बताया कि आपसी शराब के नशे में था। घटना की दोनों बीच बचाव करने की कोशिश की दादी के साथ भी मारपीट किया है। सुन्दरन पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और मृतक के प्रतिवर्षण के लिए निरीक्षण किया है। जांच द्वारा खुदकुरी के बाद थाना गांधीनगर पुलिस ने आपसी पति के विवाहित द्वारा किया है। पुलिस ने आपसी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

जानकारी के अनुसार रामजी दुबे

का रहने वाला है। इस









## महत्वपूर्ण खबर

### रायपुर में डेवलपर पर बड़ी कार्यवाही

**RERA**

Real Estate Regulatory Authority

**रेरा ने 50 लाख का जुर्माना लगाया**

रायपुर, 05 मार्च 2025 (ए)। टीवी, ईसी, मॉड्यूलर किचन गिफ्ट में डेकर प्लाट खरीदना, घर बनवाना का और तो आपको भी मिला होगा। ऐसे ही अपर में फंसकर राजधानी रायपुर के कई लोगों को शैली ईस्टर एण्ड डेवलपर्स ने अपने जांच में लिया। अब इस डेवलपर के खिलाफ ऐसे ने कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपये की धूमधानी लाई है। दिवसल कुछ परिवर्तनों में मारुति इक्सिटी में प्लॉट खरीदकर शैली ईस्टर एण्ड डेवलपर्स से घर बनवाने के लिए एप्रोविट किया। लोगों को अपने जांच में लेने के लिए उक्त डेवलपर ने टीवी, ईसी और मॉड्यूलर किचन देने के और डेकर लिने वाली बीच में भी आशा काम छोड़कर ये बाद पीड़ित परिवार रेरा पहुंचा। लेकिन उक्त डेवलपर रेरा अप्रूव नहीं था। यही कारण है कि पेनलाई की राशि 45 दिनों के भीतर जमा न करने पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है।

**छत्तीसगढ़ के प्रमोटी आईएसएस  
अफसरों को बैच अलॉट**

रायपुर, 05 मार्च 2025 (ए)। राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्तर हुए अधिकारियों को उनके बैच का आवंटन कर दिया गया है। केंद्र सरकार के आदेशनुसार 2021 से 2023 की चयन सूची में शामिल अधिकारियों की विशिष्ट और बैच नियन्त्रण किया गया है। इस संबंध में जारी किये गए आदेश के अनुसार कुल 10 अधिकारी हीना अनिमेष नेतम, अधिकारी देवांग, डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, अशुतोष पांडे, अजय कुमार अग्रवाल, रीता यादव, लोकेश कुमार, प्रकाश कुमार, गजेन्द्र सिंह ठाकुर और तनुजा सलाम का नाम शामिल हैं। इस बैच आवंटन के लिए आईएसएस (विशिष्ट विनियम) नियम, 1987 के तहत वेटेज फॉर्मूला लागू किया गया है, जिसमें अधिकारियों को उनके तत्काल विषयों के अनुसार उचित स्थान दिया गया है। 2021 चयन सूची में हीना अनिमेष नेतम को 2016 बैच और अधिकारी देवांग को 2018 बैच मिला। 2022 चयन सूची में डॉ. रेणुका श्रीवास्तव और अशुतोष पांडे को 2019 बैच में स्थान दिया गया। 2023 चयन सूची में अजय कुमार अग्रवाल, रीता यादव, लोकेश कुमार, प्रकाश कुमार, गजेन्द्र सिंह ठाकुर और तनुजा सलाम को 2019 बैच में शामिल किया गया।

**सुकमा के धनिकोर्ता में  
रहस्यमयी बीमारी का कहर**

सीने में दर्द और खांसी के बाद 13 की मौत  
सुकमा, 05 मार्च 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के लिंगदह विकासखाड़ के धनिकोर्ता गांव में पिछले एक महीने के भीती 13 ग्रामीणों की रहस्यमयी मौतों ने धूरे झुकाव में दहशत फैला दी है। इन मौतों का कारण सीने में दर्द और खांसी की शिकायत बताया जा रहा है। इनके बाद ग्रामीणों की हालत तेजी से बिगड़ रही है और उनकी जान जा रही है। गांव में लाभग हर घर से मौत की खबर आ रही है, जिससे बांध भय और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। ग्रामीणों के बताया कि मृतकों में ज्यादातर वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने रुक्षआत में सीने में दर्द और खांसी की शिकायत की थी।

## रंगों की बयार में सजेगा छत्तीसगढ़ी सिनेमा का होली मिलन समारोह



रायपुर, 05 मार्च 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ी भव्य आयोजन सहाय फिल्म सिटी एंड प्रेमियों के लिए भी एक सुनहरा अवसर होगा, जिले की धूनें पर थिरकरे कदम और गुरुत्व में घृणी खियोंगों की सोनात-रंग सरोवर की होली मिलन समारोह एक भव्य और यादानंद आयोजन बनाने जा रहा है। छत्तीसगढ़ी फिल्म सिटियों की कार्यक्रम को रोजाना के लिए एक शिक्षक के घर में धूम गया। इस घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी मर्ग गई। तेंदुआ के घर में धूमने की गोलांगना ग्रामीणों ने तत्काल बन विभाग को दी। सूचना मिलते ही बन विभाग की टीम मैके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के

लिए डेंड थंडे तक कड़ी मशक्कत की। टीम ने जाल बिछाकर तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उसे काबू में लाया गया। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकलते हीं और घरों में डर रहे हैं। बन विभाग ने क्षेत्रवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है और जंगल के आसपास निगरानी बढ़ा दी है।

इओडब्ल्यू ने भी संज्ञान लेकर क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत की। क्रिमिनल रिवीजन में कहा गया कि धारा 9 के अंतर्गत ऐसे मामलों में शासन की अनुमति नहीं देकर होनी चाहिए। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दी। यह बाबत में जावाब मांगा जाएगा।

क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत की। क्रिमिनल रिवीजन में कहा गया कि धारा 9 के अंतर्गत ऐसे मामलों में शासन की अनुमति नहीं देकर होनी चाहिए। अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दी। यह बाबत में जावाब मांगा जाएगा।

क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत की। क्रिमिनल रिवीजन में कहा गया कि धारा 9 के अंतर्गत ऐसे मामलों में शासन की अनुमति नहीं देकर होनी चाहिए। अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दी। यह बाबत में जावाब मांगा जाएगा।

क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत की। क्रिमिनल रिवीजन में कहा गया कि धारा 9 के अंतर्गत ऐसे मामलों में शासन की अनुमति नहीं देकर होनी चाहिए। अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दी। यह बाबत में जावाब मांगा जाएगा।

क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत की। क्रिमिनल रिवीजन में कहा गया कि धारा 9 के अंतर्गत ऐसे मामलों में शासन की अनुमति नहीं देकर होनी चाहिए। अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दी। यह बाबत में जावाब मांगा जाएगा।

क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत की। क्रिमिनल रिवीजन में कहा गया कि धारा 9 के अंतर्गत ऐसे मामलों में शासन की अनुमति नहीं देकर होनी चाहिए। अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दी। यह बाबत में जावाब मांगा जाएगा।

क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत की। क्रिमिनल रिवीजन में कहा गया कि धारा 9 के अंतर्गत ऐसे मामलों में शासन की अनुमति नहीं देकर होनी चाहिए। अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दी। यह बाबत में जावाब मांगा जाएगा।

क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत की। क्रिमिनल रिवीजन में कहा गया कि धारा 9 के अंतर्गत ऐसे मामलों में शासन की अनुमति नहीं देकर होनी चाहिए। अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दी। यह बाबत में जावाब मांगा जाएगा।

क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत की। क्रिमिनल रिवीजन में कहा गया कि धारा 9 के अंतर्गत ऐसे मामलों में शासन की अनुमति नहीं देकर होनी चाहिए। अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दी। यह बाबत में जावाब मांगा जाएगा।

# छत्तीसगढ़ विधानसभा में रामा बिल्डकॉन के जमीन आबंटन का मामला गरमाया

**रामा बिल्डकॉन को  
जमीन आबंटन के मामले  
में राजस्व मंत्री को सत्ता  
पक्ष के विधायक ने  
धरने का किया प्रयास...**



इसकी जांच की घोषणा की है। सुशांत शुक्ला ने ये भी कहा कि मुआवजा दिलाने के लिए एक रेकेट सक्रिय है, जो गत तरीके से मुआवजा दिलाने का काम करता है। इन बातें पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि अभी तक ये मामला सज्जन में नहीं आया है, अगर उनके पास संबंधित वार्ता देकर तो वे उसे उत्तर दें। उसकी बातें जांच करा लेंगे।

**बिलासपुर में 431 मौतें,  
जशपुर में सिर्फ 96**

संपर्दंश से मृत्यु पर मुआवजा चार लाख प्रति व्यक्ति दिया जाता है।

संपर्दंश के जशपुर में संपर्दंश से मृत्यु मात्र 96 होती है।

जशपुर के बिलासपुर में संपर्दंश से मृत्यु मात्र 431 होती है।

विधायक ने संपर्दंश से मृत्यु मात्र की जांच की जाएगी।

जशपुर के बिलासपुर में संपर्दंश से मृत्यु मात्र 431 होती है।

विधायक ने संपर्दंश से मृत्यु मात्र की जांच की जाएगी।

जशपुर के बिलासपुर म